

**कार्यालय, जनजातीय प्रकोष्ठ,
लोक भवन परिसर, भोपाल (म.प्र.)**

ईमेल आईडी - rajbhavanjjp@mp.gov.in, दूरभाष क्रमांक 0755-2998189
क्र./विविध/ज.जा.प्र./लोक भवन/मानिट/26/10824 भोपाल, दिनांक 02/07/2026
प्रति,

माननीय श्री रामलाल रौतेल
म.प्र. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग,
35, श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

विषय: जनजातीय शिक्षा संबंधी गतिविधियों को स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक- 0126, भोपाल दिनांक- 23/06/2026

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें जनजातीय शिक्षा संबंधी गतिविधियों को स्कूल शिक्षा विभाग में विलय किए जाने का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में अवगत कराया जाता है कि मामले में आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी को अर्ध-शासकीय पत्र क्रमांक- 10813/जन.जा.प्र./2026, भोपाल दिनांक 29 जून, 2026 प्रेषित किया जा चुका है।

अतः उक्त पत्र की प्रति सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार


(मीनाक्षी सिंह)

सचिव
जनजातीय प्रकोष्ठ, लोक भवन,
भोपाल (म.प्र.)



राज्यपाल, मध्यप्रदेश
GOVERNOR OF MADHYA PRADESH

10813
अ.शा.पत्र क्र. /जन.जा.प्र./2026
भोपाल दिनांक 29 जून, 2026

प्रिय डॉ० मोहन यादव जी,

आपके नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय कल्याण और उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई। प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा केवल औपचारिक अध्ययन का विषय नहीं है, अपितु जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं, भाषाओं, सामाजिक सशक्तिकरण तथा नेतृत्व निर्माण का आधार भी है। इस दृष्टि से जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों ने विगत वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की है।

यह भी विचारणीय है, कि जिन जाजातीय क्षेत्रों में भौगोलिक विषमताएं, संसाधनों की सीमाएं एवं सामाजिक चुनौतियां अधिक हैं, वहां जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विकसित विशिष्ट शैक्षणिक मॉडल ने उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं- जैसे आश्रम शालाएं, कन्या शिक्षा परिसर, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छात्रावास एवं विशेष शैक्षणिक सहायता कार्यक्रमों ने लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा है। विगत वर्षों में जनजातीय कार्य विभाग के विद्यालयों के विद्यार्थियों ने **JEE, NEET, CLAT, NDA** तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। अनेक छात्र-छात्राएं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, चिकित्सा, अभियांत्रिकी तथा न्यायिक सेवाओं में चयनित होकर समाज के लिए प्रेरणास्रोत बने हैं। यह उपलब्धि इस तथ्य को रेखांकित करती है, कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए विकसित शैक्षणिक व्यवस्था केवल शिक्षा ही प्रदान नहीं करती, बल्कि नेतृत्व का निर्माण भी कर रही है। खेलों के क्षेत्र में जनजातीय कार्य विभाग के विद्यालयों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार किया है। विशेष रूप से तीरंदाजी, हॉकी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी एवं अन्य खेलों में जनजातीय विद्यार्थियों ने प्रदेश तथा देश का गौरव बढ़ाया है।

अतः मेरा मत है, कि जनजातीय विद्यार्थियों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा तथा अब तक प्राप्त उत्कृष्ट परिणामों की निरन्तरता के लिए जनजातीय कार्य विभाग की वर्तमान पृथक व्यवस्थाओं को यथावत रखा जावे। आशा है कि इस विषय पर संवेदनशीलता एवं दूरदृष्टि के साथ विचार कर जनजातीय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा प्राथमिकता से की जा सकेगी।

शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

मंगुभाई पटेल
(मंगुभाई पटेल)

डॉ० मोहन यादव,
मुख्यमंत्री,
मध्यप्रदेश



रामलाल रौतेल
अध्यक्ष

म०प्र० राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
35, श्यामला हिल्स, भोपाल

क्रमांक 2426

भोपाल, दिनांक 23-6-26

प्रति

महामहिम राज्यपाल महोदय जी
लोकभवन
म०प्र० भोपाल

विषय— जनजातीय शिक्षा संबंधी गतिविधियों को स्कूल शिक्षा विभाग को
हस्तांतरित किये जाने के संबंध में ।

महामहिम,

सादर विनम्र निवेदन है कि प्रदेश के अनुसूचित जनजाति समुदाय के शैक्षणिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य से संचालित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों एवं गतिविधियों का संचालन वर्तमान में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है इन संस्थानों ने दूरस्थ एवं आदिवासी अंचलों में शिक्षा के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है । वर्तमान में मध्यप्रदेश के 20 जिलों के अंतर्गत आने वाले 88 जनजातीय विकासखंडों में प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, उच्चतर माध्यमिक शाला, सांदीपनी विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर, आर्दश आवासीय विद्यालय, आश्रम शालायें कुल 26262 वर्तमान में संचालित है । जिसमें संवर्गवार शिक्षकों की स्वीकृति 1,11,763 कार्यरत उच्च पद प्रभार सहित 93,307 है, तथा कुल रिक्त पद 18,456 है एवं विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की दर्ज संख्या 21,45,859 है । जो कि निम्नानुसार है:-

.....2
Sey / Tribal cell

म०प्र० राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम १९९५ की धारा ९(१) के तहत सौंपे गये कृत्यों के पालन करने के लिए आयोग को धारा १० के अनुसार सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

882June-2026

निवास - बार्ड क्र० 1, अनूपपुर, जिला-अनूपपुर (म.प्र.) 484224

सम्पर्क : 9425473007, 6265319306, 07659-222765, 0755-2661700, 0755-2660876 E-mail : rlrutel@gmail.com



रामलाल रौतेल
अध्यक्ष

म०प्र० राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
35, श्यामला हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक

क्रमांक

2

- 1- बोर्ड परीक्षा परिणाम 2025-26
- 2- जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संचालित 1109 हाईस्कूल में से 517 तथा 804 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से 156 का परिणाम 100 प्रतिशत रहा है ।
- 3- हाई स्कूल परीक्षा परिणाम 2026 में संबंधित उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत अनूपपुर में 93.85 तथा द्वितीय जिला आलीराजपुर 92.14 प्रतिशत रहा है ।
- 4- हाई स्कूल परीक्षा परिणाम 2026 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों में से 07 जिले हैं । अनूपपुर-आलीराजपुर-मंडला- झाबुआ-बालाघाट-बड़वानी और डिंडौरी ।
- 5- हायर सेकेण्ड्री स्कूलों का परीक्षा परिणाम वर्ष 2026 में सर्वाधिक उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत झाबुआ में 93.23 तथा द्वितीय जिला अनूपपुर में 93.04 प्रतिशत रहा है ।
- 6- इसी प्रकार हायर सेकेण्ड्री स्कूल परीक्षा परिणाम 2026 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों में से 07 जिले अनूपपुर , अलीराजपुर, मंडला, झाबुआ बालाघाट, सीधी एवं डिंडौरी । उत्कृष्ट कार्य एवं परिणाम के बावजूद हाल ही में जनजातीय शिक्षा संबंधी गतिविधियों को स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किये जाने के संबंध में विचार-विमर्श एवं प्रशासनिक पहल की जानकारी प्राप्त हुई है । इस विषय में जनजातीय समुदाय एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों से वारत शासकीय सेवकों द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही है ।

.....3

म०प्र० राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम १९९५ की धारा ९(१) के तहत सौंपे गये कृत्यों के पालन करने के लिए आयोग को धारा १० के अनुसार सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

883June-2026

निवास - वार्ड क्र० 1, अनूपपुर, जिला-अनूपपुर (म.प्र.) 484224

सम्पर्क : 9425473007, 6265319306, 07659-222765, 0755-2661700, 0755-2660876 E-mail : rlrtautel@gmail.com

3-

जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा केवल अकादमिक विषय नहीं है बल्कि यह जनजातीय पहचान सांस्कृतिक संरक्षण एवं सामाजिक सशक्तिकरण का भी महत्वपूर्ण माध्यम है इसलिये इसी प्रकार के प्रशासनिक पुर्नगठन अथवा हस्तांतरण से पूर्व व्यापक अध्ययन जनप्रतिनिधियों, विशेषज्ञों से परामर्श किया जाना अति आवश्यक है ।

अतः मध्यप्रदेश जनजातीय आयोग विनम्रता पूर्वक आग्रह करता है कि इस विषय पर समुचित परीक्षण कराया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि जनजातीय विद्यार्थियों के शैक्षणिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसलिये पूर्व में संचालित व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुये यथावत रखा जाना उचित है । जनजातीय समुदाय छात्र/छात्राओं के हितों के संरक्षण हेतु अति आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने की कृपा करें ।

सधन्यवाद

भवदीय
23-6-26
(रामलाल रौतेल)